



सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 19.10.2026

➤ **थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मृत्यु का भय दिखाकर जबरन वसूली की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 18.10.2026 को थाना मंगलपुर पर वादी जिलानी पुत्र हासिम अली, निवासी ग्राम चकफाजलपुर थाना कुंदरकी जनपद मुरादाबाद द्वारा लिखित तहरी बावत दिनांक 17.10.2026 को वादी व वादी के पिता द्वारा रसूलाबाद से सिकंदरा की तरफ आइसर कैंटर वाहन द्वारा जाना तभी थाना मंगलपुर क्षेत्रांतर्गत स्थित भारत पेट्रोल पंप के पास एक चार पहिया वाहन कार से चार व्यक्तियों द्वारा अपनी गाड़ी में टक्कर मारने का आरोप लगाते हुए वादी व उसके पिता के साथ गाली-गलौच व मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देते हुए वादी से 1000/- रुपये व वादी के पिता से 2000/- रूपए ले लेना व तमंचा के बल पर मृत्यु का भय दिखाकर और रूपए मांगना, डर के कारण वादी द्वारा अपने मित्र के माध्यम से अभियुक्त गण द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर पर 15,000/- रूपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाकर कुल 18,000/- रूपए जबरन बसूली कर ले जाने के संबंध में दी गई जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 355/26 धारा 126(2)/ 352/308(5) बीएनएस बनाम 1. शिवम पुत्र अज्ञात, 2. अमित पाल पुत्र अज्ञात, 3. अन्य दो अज्ञात व्यक्ति निवासीगण अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 19.10.2026 को थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये मुखबिरखास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शिवम सिंह गौर उर्फ पुत्ती पुत्र अमर सिंह गौर उर्फ मुन्ना, उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड नं0 17 शंकरगंज झींझक थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को ग्राम सिडमरा की तरफ खम्हैला मोड़ के पास थाना क्षेत्रांतर्गत मंगलपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया । मुकदमा उपरोक्त में वांछित अन्य 03 शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

पूछताछ अभियुक्त- शिवम सिंह गौर उर्फ पुत्ती उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 17.10.2026 की रात में मैं और मेरा भाई सत्यम व अमित पाल उर्फ अनुज पुत्र जगराम पाल निवासी पट्टी किशौरा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात व अमित पाल का एक दोस्त जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, अमित पाल की कार होण्डा अमेज में झींझक से सिकंदरा की तरफ जा रहे थे । तभी हम लोगों ने एक योजना बनायी कि हम लोग किसी गाडी को सड़क पर रोकेगें और गाडी वाले से कहेंगे की तुमने हमारी कार में टक्कर मारकर कार तोड़ दी है और डरा-धमकाकर उससे रुपये की माँग करेंगे । जैसे ही हम लोग मंगलपुर चौराहे से आगे पहुंचे तो हमने देखा की हमारे आगे एक कैंटर जा रहा है तभी हम लोगों ने मंगलपुर चौराहे से आगे जाकर पेट्रोल पम्प के पास उक्त कैंटर के आगे अपनी कार लगाकर उसे रुकवा लिया और ड्राईवर व उसके सहायक को नीचे उतारकर उनके साथ मारपीट की तथा उन्हें डरा-धमकाकर ₹ 3,000/- उनसे जबरन ले लिये और उन लोगों से अमित पाल उर्फ अनुज ने मोबाइल पर 15000/- रुपये ऑनलाईन ट्रांसफर करा लिये थे । फिर हमलोग कार में बैठकर वापस झींझक के रास्ते रूरा की तरफ जा रहे थे तभी हमारी कार खराब हो गयी । रात का समय होने के कारण कार सही नहीं हो सकी इसलिए हमने कार वहीं पर छोड़ दी और सोंचा की कार को सुबह ठीक कराकर ले जायेंगे । बाकी तीनों लोग अन्य काम होने की बात कहकर कहीं चले गये थे और मैं सुबह कार को ठीक कराना भूल गया । शाम के समय मैं कार को सही कराने गया था लेकिन कार सही नहीं हो पायी थी फिर मैं अपने घर वापस आ रहा था कि आपने मुझे पकड़ लिया । जो 3,000/- रुपये हम लोगों ने कैंटर वालों से डरा- धमकाकर लिये थे, वह रुपये सत्यम व अमित पाल के पास हैं ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. शिवम सिंह गौर उर्फ पुत्ती पुत्र अमर सिंह गौर उर्फ मुन्ना, उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड नं0-17 शंकरगंज झींझक थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त शिवम सिंह गौर उर्फ पुत्ती उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 482/2017 धारा 392,411 भा0दं0सं0 थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात ।
2. मु0अ0सं0 377/2021 धारा 379,411,413 भा0दं0सं0 थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात ।
3. मु0अ0सं0 0266/2024 धारा 115(2),351(2),352 बीएनएस व 3(2)(va) SC/ST एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 077/2025 धारा 109(1),115(2),352 बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात ।
5. मु0अ0सं0 355/2026 धारा 126(2)/115(2)/352/308(5) बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात ।

गिरफ्तार करने वाली थाना मंगलपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री मिलन सिरोही
2. का0 1097 अभय प्रताप
3. का0 408 आकाश कुमार